फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान

कल्ली वगै0 बनाम सरकार वगै0

नं0 :– 178/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 17 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27.06.2025 को पेश हो।	
27.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि खाता सं0 36 के खसरा नम्बर 13/99 रकबा 0.7587है0 वाकै ग्राम चैनपुरावास डेडवाडी, पटवार हल्का बिलोद, तहसील जमवारामगए, जिला जयपुर की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम चैनपुरावास डेडवाडी, पटवार हल्का बिलोद, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 13/99 वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2074–2076 के अनुसार छितर मल पुत्र भैरू राम हिस्सा पूर्ण जाति मीणा ग्राम बिलोद, तह0 जमवारामगए जिला जयपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। चुकि प्रार्थना पत्र धारा 128 एल0आर0एक्ट पूर्व खातेदारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान खातेदार द्वारा पत्रावली में पक्षकार बनने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।	